MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 10th May, 2013

G.S.R. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Registrar General, India and Directorates of Census Operations, Data Entry Operator Grade 'B' (Group 'C' post) Recruitment Rules 2012, namely :-

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and Directorates of Census Operations, Data Entry Operator Grade 'B' (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India and Directorates of Census Operations, Data Entry Operator Grade 'B' (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2012, in column (3), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministrial".

[F. No. A-12032/38/99-Ad-II/V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. NO. 262, dated the 3rd November, 2012.

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 181.—एतद्द्वारा राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के निदेशक के कार्यालयों में (सहायक निदेशक, जनगणना कार्य) भर्ती नियम, 2004 का अधिग्रहण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालय, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य भर्ती नियम, 2013 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा शैक्षिक अर्हताएं, आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक, जनगणना कार्य	12* (2013) *(कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड 3, 15600—39100 रु. + ग्रेड पे 5400 रु.	चयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति :** पे बैंड-2 में (9300-34800 रु. और ग्रेड पे 4200 रुपए के वेतनमान में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित कार्यालय अधीक्षक । नोट 1 : जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित अर्हक अथवा योग्यता सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने इन कनिष्ठों के साथ ही, जो पहले ही ऐसी

(11)

योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, अपनी परीवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं ।

नोट 2 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किए जाने की दिनांक 01-01-2006 से पूर्व नियमित आधार पर दी गई सेवा का वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर लागू किए गए तदनुरूप ग्रेड पे अथवा वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यों-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :

क (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों ; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे बैंड-2 में (9300—34800 रुपए और 4800 रुपए ग्रेड पे अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो; अथवा

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे बैंड- 2, में 9300-34800 रुपए और 4600 रुपए ग्रेड पे अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले :

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ।

(ii) न्यायालय में संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के अनुभव सहित प्रशासन, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहिंत) सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पावधि संविदा सहित) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किए जाने की दिनांक से पहले की गई नियमित सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदनुरूप ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे या वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे या वेतनमान बगैर किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं ।

6)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल पदाधिकारी : 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. भारत के महारजिस्ट्रार —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य	प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12032/32/99-प्रशा.II/V]

पंकज कुमार देवरानी, अवर सचिव

New Delhi, the 17th July, 2013

G. S. R. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories (Assistant Director of Census Operations) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director of Census Operations Group 'A' Post in the office of the Registrar General, India, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations and Union Territories Assistant Director of Census Operations Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.**— The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

4. **Disqualification.- No person,**—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Govenment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director of Census Operations	12* (2013) *Subject to variation de- pendent on	General Central Service, Group 'A', Gazetted,	Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay	Selection	Not applicable

3120 GI/13-3

workload	Non-Ministerial	Rs. 5400

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and essential qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be or made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Office Superintendent in the Pay Band -2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 with eight years regular service in the grade. **Note 1 :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation' for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories:— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department. ; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in the Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department ; or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band -2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

	(11)
	(b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Graduation from a recognized University. (ii) three years experience of Administration, Accounts and Budget work including experience of handling court cases. **Note 1 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in an other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note 2 :** For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure bases on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended shall be deemed to be s ervice rendered in the corresponding grade payor pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised, scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Registrar General, India —Member 3. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs —Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for deputation or promotion.

[F. No. A-12032/32/99-Ad.-II/V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.